Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **सूरतगढ में ई–मित्र संचालक को छात्रवृति के नाम पर 3 हजार 500 रूपये वसूली करते किया गिरफ्तार**

जयपुर, 18 नवम्बर/ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) मुख्यालय की श्रीगंगानगर इकाई द्वारा सूरतगढ में एक ई–मित्र संचालक रमेश शर्मा को छात्रवृत्ति भुगतान के नाम पर 3 हजार 500 रूपये वसूली करते गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी की श्रीगंगानगर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि सूरतगढ के ई–मित्र संचालक रमेश शर्मा द्वारा राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाले शिक्षण छात्रवृत्ति 9000/– प्रति छात्र की राशि को पास करवाने के नाम पर 3500/ रूपये की राशि वसूली जा रही है।

जिस पर **एसीबी श्रीगंगानगर के उप अधीक्षक पुलिस श्री वेदप्रकाश** के नेतृत्व में उक्त मांग का सत्यापन करवाकर आज ट्रेप कार्यवाही करते हुये **रमेश शर्मा ई मित्र संचालक सूरतगढ को 3 हजार 500 रूपये वसूली करते** रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एम.एन. के निर्देशन** एसीबी टीमों द्वारा आरोपी ई–मित्र संचालक से पूछताछ तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की भूमिका की जांच जारी है। एसीबी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं. 1064*** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135–02834*** पर सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।